दिनांक

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–106 / 2019

विक्रम सिंह पुत्र लिलाधर जाति नायक निवासी कांट तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.01.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कांट तहसील मलसीसर की सरहद में खात संख्या 173 के भूमि ख.न. 487 रकबा 2.5000 है. व ख.न. 488 रकबा 0.2800 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.7800 है. अवस्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी 1 / 8 हिस्से भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का नाम सहवान से विक्रम सिंह पुत्र लीलाधर के बजाय घासीराम पुत्र लीलाधर दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में स्वयं का प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि घासीराम पुत्र लीलाधर के स्थान पर विक्रम सिंह पुत्र लीलाधर दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित घासीराम पुत्र लीलाधर के स्थान पर विक्रम सिंह पुत्र लीलाधर किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम कांट तहसील मलसीसर की सरहद में खात संख्या 173 के भूमि ख.न. 487 रकबा 2.500 है. व ख.न. 488 रकबा 0.2800 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.7800 है. में से हि0 1 / 8 घासीराम पुत्र लीलाधर हिस्सा 1 / 8 जाति नायक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से विक्रम सिंह पुत्र लीलाधर के स्थान पर घासीराम पुत्र लीलाधर दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में स्वयं का प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र पेश किया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कांट तहसील मलसीसर की सरहद में खात संख्या 173 के भूमि ख.न. 487 रकबा 2.500 है. व ख.न. 488 रकबा 0.2800 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.7800 है. जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित घासीराम पुत्र लीलाधर हिस्सा 1/8 जाति नायक के स्थान पर विक्रम सिंह पुत्र लीलाधर हिस्सा 1/8 जाति नायक दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर